

22.10.20

वादीगण के वकील उपाधीक/उपनिधीक 2,3,4,7,8 इत्यादि शेष के सम्बन्ध
निलम्बण परमि अवकाश देने के उपरांत
जी-वेरा नही किया
वकील वादी के विशेष कागदपत्र
का निम्नलिखित कागदपत्र दिनांक 16.12.21 को पेश
कें।

सहायक न्यायिक अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

16.12.21

वकील वादीगण उपाधीक/उपनिधीक 2,3
4,7,8 इत्यादि शेष के सम्बन्ध
निलम्बण परमि अवकाश देने के उपरांत
जी-वेरा नही किया। न्यायिक अधिकारी के
का निम्नलिखित कागदपत्र दिनांक 17.2.21 को पेश
कें।

सहायक न्यायिक अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

17.2.21

वादी एवं वकील वादीगण अनुपस्थित
वादी एवं वकील वादी को तीव्र

हुकम 2 अन्तर्गत दिनांक 16.12.21 को
न्यायिक अधिकारी एवं वकील वादीगण
के अनुपस्थित ही निम्नलिखित कागदपत्र
पेश कर अन्तर्गत लख अन्तर्गत
में कागदपत्र पेश कर ही निम्नलिखित
केयस कुमारे को निलम्बण परमि
हो।

सहायक न्यायिक अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

